

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के टोल प्लाजा को टीओटी पर देंगे

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन की गाइडलाइन जारी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले 594 किमी. लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के टोल प्लाजा को टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर (टीओटी) के आधार पर दीर्घ अवधि के लिए ठेके पर दिया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि का उपयोग एक्सप्रेस-वे के निर्माण में होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर निर्माण कराने के लिए निवेशकों की तलाश भी की जाएगी।

औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बृहस्पतिवार को एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन गाइडलाइन जारी करते हुए यूपीडा को भूमि अधिग्रहण का कार्य 6 महीने में पूरा कर जून 2021 से

पीपीपी मोड और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभावना भी तलाशी जाएगी

वित्तीय सलाहकार नियुक्त गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए बैंकों से ऋण लेने के साथ बाहरी संस्थाओं से ऋण लेने या निवेशकों की तलाश के लिए सरकार ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है। इसके लिए 50 लाख रुपये की फीस भी दी जाएगी।

एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे स्थित टोल प्लाजा को टीओटी के आधार पर किसी फर्म को 15 से 20 साल के लिए दिया जाएगा। इस टोल प्लाजा से करीब चार सौ करोड़

रुपये की वार्षिक आय होती है, फर्म से आगामी 15-20 वर्ष की राशि एकमुश्त लेकर उसका उपयोग गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर किया जाएगा। इसके लिए एनएचएआई को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सप्रेस-वे को टीओटी पर देने के लिए अवनस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर 36410 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परियोजना के लिए ग्राम सभा की जमीन निशुल्क दी जाएगी जबकि किसानों की भूमि खरीदने और वन भूमि प्राप्त करने के लिए हुडको से ऋण लिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस-वे के समयबद्ध निर्माण के लिए यूपीडा में अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 269 पद भी सृजित किए जाएंगे।